न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 16/17 निर्णय दिंनाक 23.06.2017

बउनवान

1. प्रभूलाल पुत्र श्री भवानाराम जाति भील निवासी डूंडा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।

बनाम

1. लालचंद पुत्र देविया जाति भील।
2. नानूराम पुत्र देविया जाति भील।
3. रमेश पुत्र देविया जाति भील।
4. राधेश्याम पुत्र देविया जाति भील निवासीगण दांता तहसील कनवास।
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक महोदय दरा जिला कोटा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :–

वादीगण स्वयं

प्रतिवादी गण 01 लगायत 04 स्वंय

प्रतिवादी क्रम 07 की ओर से तहसीलदार कनवास।

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल दांता तहसील कनवास में वर्तमान खसरा नंबर 350 की रकबा 1.10 है0, खसरा नंबर 353 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 354 की 1.02 है0, खसरा नंबर 355 की रकबा 0.70 है0, कुल खसरा किता 04 की

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कुल रकबा 2.83 है0, कृषि भूमि स्थित है। जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में देविया पुत्र देवा भील के नाम से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 68 की 17 बीघा 09 बिस्वा रहे है, जो कि राजस्व रेकार्ड में दबिया पुत्र देवा जाति भील निवासी दांता के नाम से दर्ज रही है।

यह कि वादी ने तत्कालीन खातेदार देबिया पुत्र देवा जाति भील निवासी दांता से दिनांक 04.06.1980 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खसरा नंबर 068 की 17 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में से पूर्वी तरफ की 04 बीघा भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, उक्त पूर्वी तरफ की 04 बीघा खरीदशुद्वा कृषि भूमि को इन्तकाल नंबर 79 दिनांक 12.11.1980 को सक्षम अधिकारी द्वारा वादी के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में कर दिया गया। उक्त खरीदशुद्वा कृषि भूमि पर वादी वर्तमान में भी शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, वादी द्वारा खरीदशुद्वा पूर्वी तरफ की 04 बीघा कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर हाल ही में हुए सेटलमेंन्ट के उपरान्त खसरा नंबर 355 की 0.70 दर्ज किये गये है, जिसमें से पूर्वी तरफ की 0.64 हैक्टर कृषि भूमि पर वादी शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है।

यह कि दिनांक 04.06.80 को उक्त कृषि भूमि को क्रय भूमि को क्रय करने के उपरान्त से वादी हमेशा से उक्त कृषि भूमि पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में रहा है, तथा 2–3 वर्ष पूर्व वादी ने स्वयं उक्त कृषि भूमि को खुद काश्त की थी, पिछले वर्ष उक्त कृषि भूमि में वादी ने दांता निवासी श्री श्योदान सेन से मुनाफा काश्त की थी, वादी का ससुराल ग्राम दांता में ही है, जिनकी मदद से वादी उक्त खरीदशुद्वा भूमि में काश्त करता है।

यह कि माह जनवरी 2016 में वादी को उक्त खरीदशुद्वा भूमि की नकल की आवश्यकता हुई, तो हल्का पटवारी महोदय से वादी को जानकारी मिली, कि उक्त कृषि भूमि में पुनः विक्रेता देबिया पुत्र देवा जाति भील निवासी दांता का नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसके बारे में अन्य नकले निकलवाने पर वादी की जानकारी में आया, कि वर्तमान सेटलमेंन्ट से पूर्व ही खसरा नंबर 68 की 04 बीघा भूमि जो वादी के खाते दर्ज कर दी गई थी, को पुनः खातेदार देबिया पुत्र देवा भील के नाम से दर्ज कर दिया है, तथा उसने कुल भूमि पर प्रतिवादी क्रम 5 से ऋण भी प्राप्त कर लिया है, विक्रेता देबिया द्वारा कृषि भूमि पर खाते में नाम दर्ज होने के आधार पर ऋण लेने का पता लगने पर वादी ने उक्त श्री देबिया भील से सम्पर्क करने का प्रयास किया तो उसकी जानकारी में आया, कि उक्त देबिया भील का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 है, वादी ने प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 से कथन कर कहा कि तुम्हारे पिता ने उनके खाते की भूमि में से 04 बीघा भूमि को मेरे नाम से बेचान कर रजिस्ट्री करवा दी थी, तथा जमीन मेरे खाते भी लग गई थी, जिस पर तुम्हारे पिता ने अनजाने में लोन भी ले लिया है, तुम इस लोन को चुकता कर उक्त कृषि भूमि 04 बीघा को पुनः मेरे नाम से दर्ज करवाओं, इस पर उन्होने वादी को आश्वस्त किया कि उन्हें वादी को विक्रय की गई 04 बीघा भूमि से कोई वास्ता नंही है, वे उसे पुनः वादी के खाते दर्ज करवा देंगें। परन्तु 01 साल व्यतीत हो जाने के उपरानत भी प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 ने वादी नाम से दर्ज करवाने हेतु कोइ प्रयास नंही किये हैं। इसलिए वादी के लिए विवश होकर यह आवश्यक हो गया है कि वह श्री देबिया पुत्र देवा भील निवासी दांता से खरीदशुद्वा 04 बीघा भूमि जो वादी के खाते दर्ज भी कर दी गई थी, को पुनः वादी के खाते दर्ज करवाने के लिए खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा आदि की सहायताए प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

अतः वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.70 है0, कृषि भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

से पूर्वी तरफ की 0.64 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, व उक्त कृषि भूमि पर से प्रतिवादीक्रम 05 के रहन नोट को हटाया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे, कि वे वादी को ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.64 है0, पूर्वी तरफ की भूमि में शांति पूर्व उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई,

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई, सुनवाई के दौरान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 की ओर से मुताबिक वाद पात्र राजीनामा प्रस्तुत हुआ राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनों पक्षकारों द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद अनुसार स्वीकार किया, राजीनामा बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दजस्तावेंजो, राजीनामें का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि मुताबिक राजीनामा ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.70 है0, कृषि भूमि में से पूर्वी तरफ की 0.64 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, जाना उचित समझते हैं तथा उक्त कृषि भूमि पर से प्रतिवादीक्रम 05 के रहन नोट को हटाया जावे।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.70 है0, कृषि भूमि में से पूर्वी तरफ की 0.64 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा उक्त कृषि भूमि पर से प्रतिवादीक्रम 05 के रहन नोट को हटाया जावे। उक्त घोषणा के क्रम में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वे वादी को ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.64 है0, पूर्वी तरफ की भूमि में शांति पूर्व उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 23.06.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. प्रभूलाल पुत्र श्री भवानाराम जाति भील निवासी डूंडा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।

बनाम

1. लालचंद पुत्र देविया जाति भील।
2. नानूराम पुत्र देविया जाति भील।
3. रमेश पुत्र देविया जाति भील।
4. राधेश्याम पुत्र देविया जाति भील निवासीगण दांता तहसील कनवास।
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये शाखा प्रबन्धक महोदय दरा जिला कोटा।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

दावा बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं 16/17 सन 2017 निर्णय दिंनाक 23.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 04 स्वयं तथा प्रतिवादी क्रम 06 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.70 है0, कृषि भूमि में से पूर्वी तरफ की 0.64 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं तथा उक्त कृषि भूमि पर से प्रतिवादीक्रम 05 के रहन नोट को हटाया जावे। उक्त घोषणा के क्रम में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वे वादी को ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र दांता तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 355 की 0.64 है0, पूर्वी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

तरफ की भूमि में शांति पूर्व उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाने का प्रयास नंही करें। उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.06.2017 को जारी की गई।

मोहर .....

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास